

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-105/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हेमाराम पुत्र उदाराम		1. जेठाराम पुत्र देरामाराम
2. रूपाराम पुत्र उदाराम		2. शाखा प्रबन्धक RMGB बैंक सड़ा
3. किस्तुराराम पुत्र उदाराम जाति मेगवाल निवासी सड़ा तहसील सिणधरी		3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय

दिनांक—25.06.2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा— सड़ा व जोधेश्वर नगर के खसरा संख्या 327, 327/4, 98 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 09.06.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— सड़ा व जोधेश्वर नगर के खसरा संख्या 327, 327/4, 98 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसारा नं.	रकबा (हैक्ट. में)	फिरम भूमि	लगान (रु०)	वरंग
1.	हेमाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल सा. भाटाला खातेदार	सड़ा	327	2.7654	बा.दो	0.41	आसमानी
		जोधेश्वर नगर	98	1.0840	बा.सो.	0.08	
2.	रूपाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल सा. भाटाला खातेदार	सड़ा	327	2.7654	बा.दो	0.41	बेंगनी
		जोधेश्वर नगर	98	1.0841	बा.सो.	0.08	
3	किस्तुराराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल सा. भाटाला खातेदार	सड़ा	327	1.6126	बा.दो	0.41	लाल
			327/4	1.1528		0.17	
		योग		2.7654			
		जोधेश्वर नगर	98	1.0841	बा.सो.	0.08	
4	जेठाराम पुत्र देरामाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	सड़ा	327	7.1135	बा.दो.	1.08	पीला
			327/4	1.2339	बा.दो.	0.19	
		योग		8.3974			
		जोधेश्वर नगर	98	3.2522	बा.सो.	0.22	
5	हेमाराम 1/3 रूपाराम 1/3 किस्तुराराम 1/3 पि. उदाराम जाति मेघवाल सा. भाटाला खातेदार	सड़ा	327/4	0.1012	गै.मु. रास्ता		पहाड़ी

तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी